न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 21/2013

अपीलांट		**रेस्पोडेंट्स**
पुरखाराम पुत्र जेताराम जाति पटेल चौधरी निवासी झंवर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर	**बनाम**	1. जवाहरलाल पुत्र दौलतराज जाति ओसवाल निवासी पचपदरा जिला बाड़मेर 2. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार जसोल

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 6.3.2012 जो उप तहसीलदार जसोल द्वारा मौजा बालोतरा के नामान्तरकरण संख्या 3334 पर पारित किया गया।

उपस्थित– 1. अपीलांट उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 उपस्थित।
3. श्री किशनलाल उप तहसीलदार जसोल रेस्पोंडेंट सं. 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 15.06.2016**

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 961 रकबा 04 विस्वा, खसरा नंबर 962 रकबा 07 बीघा 11 विस्वा कुल रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा में आये हुए है। उक्त खसरा नंबर की भूमि में से खसरा नंबर 961 रकबा 04 विस्वा, खसरां नंबर 1726/962 रकबा 01 बीघा 16 विस्वा कुल रकबा 02 बीघा भूमि का बेचान अपीलांट की तरफ से दिनांक 12.3.1996 को किया जाना बतला कर उक्त बेचान के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 02 ने दिनांक 6.3.2012 को नामान्तरकरण संख्या 3334 रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये नियमों के विपरीत पारित कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का ज्ञान पूर्व मे नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का भी निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पाडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व केम्प कोर्ट पचपदरा में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामिल करा दी गई थी। अपीलांट उपस्थित। रेस्पोंडेटंस संख्या 01 उपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 02 की ओर से उप तहसीलदार जसोल उपस्थित रहे।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलाधीन रेकर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट स्वयं द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से 2 बीघा भूमि का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 01 को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 12.3.1996 को किया गया। उक्त बेचान दस्तावेजात के आधार पर अपीलांट ने दस्तावेज में खरीददार को कब्जा देने एवं नामान्तकरण की लिखित में सहमति देने के बाद नियमानुसार नामान्तरकरण संख्या 3334 पारित किया गया है, जो पूर्ण विधिसम्मत प्रक्रिया से स्वीकृत किया गया। उप पंजीयक द्वारा पंजीयनसुदा बेचान दस्तावेजात की प्रमाणिकता पर सन्देह करने का कोई आधार अपीलांट द्वारा पेश नहीं किया गया है। अपीलांट को यदि उक्त दस्तावेजात के फर्जी होने बाबत आपति हो तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं उप तहसीलदार जसोल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3334 यथावत रखा जाता है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले न्यायालय केम्प कोर्ट पचपदरा में आज दिनांक **15.06.2016** को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)